राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 24/2020

GCMS No. 2020/00060

1. श्रीराम पुत्र हनुमान
2. किताब देवी पत्नी स्व. रामकुवार
3. भंवर सिंह पुत्र स्व. रामकुवार
4. विनोद कुमार पुत्र स्व. रामकुवार
   जाति जाट निवासी ढ़ाणी डूडीया ग्राम सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......वादीगण

ब–ना–म

1. हरिराम डूडी पुत्र स्व. नाराणा
2. ग्यादराम डूडी पुत्र स्व. नाराणा
   जाति जाट निवासी सेफरागुवार हाल पीपलोदा का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर, राज0
3. सोनी देवी पत्नी स्व. महादेव
4. सुभाष डूडी पुत्र स्व. महादेव
5. गोपाल डूडी पुत्र स्व. महादेव
6. ओमप्रकाश डूडी पुत्र स्व. महादेव
   जाति जाट निवासी भगतपुरा पो. पृथ्वीपुरा तहसील दातारामगढ जिला सीकर, राज0
7. जगमाल पुत्र फूला
8. मनकोरी पत्नी फूला
9. शेर सिंह पुत्र फूला
   जाति जाट निवासी सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
10. मिश्री पुत्री फूला पत्नी हवा सिंह जाति जाट निवासी ढाणी लीला की ग्राम हरिपुरा पो. जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं, राज0
11. सन्तरा पुत्री फूला पत्नी ख्यालीराम जाति जाट निवासी ढाणी लीला की ग्राम हरिपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं, राज0
12. राजस्थान सरकार जरिये भू स्वामी तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0।

..........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक एवं ख[illegible]न

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:21 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] निर्णय [illegible] दिनांक 08–12–2022

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इ[illegible] दिनांक 13–07–2022 को [illegible]िक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम सेफरागुव[illegible] तहसील खेतड़ी स्थित [illegible]या

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

खाता सं. 131 में दर्ज खसरा नंबर 507 रकबा 0.25 है. से मृतक खातेदार [illegible], महादेव पुत्र नोपा अर्थात् प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 6 की खातेदारी हटाई जाकर उक्त ख.नं. 507 रकबा 0.25 है. भूमि के 2/3 हिस्से में वादी सं. 1 को 1/3 हिस्से का तथा वादीगण 2 लगा. 4 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार वादीगण का भूमि ख.नं. 507 रकबा 0.25 है. में 2/3 हिस्से का संयुक्त रूप से अलग खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र क्रियान्वित हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2022/3558 दिनांक 24.08.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24–08–2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24–08–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–7" व "ब") का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24–08–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–7" व "ब") के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24–08–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–7" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24–08–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–7" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–"ब" के अनुसार सीमाकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

ठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

श्रीराम आदि

ब–ना–म

हरिराम आदि

ावा बाबत **घोषणात्मक एवं खाता विभाजन**

ुकदमा नम्बर :– **24 / 2020**

नेर्णय दिनांक :– **08–12–2022**

वादीगण की ओर से **श्री रामनरेश सिंह सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादी की ओर से ..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **08–12–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24–08–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–7" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24–08–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–7" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **08–12–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner